राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1799/2025

हेमलता शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, करौली।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मासलपुर, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति माधोराजपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 20.11.2024 (अनुलग्नक–1) को वसूली आदेश जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 इस प्रकार का आदेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर है और प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। वर्ष 2012–13 में डांग विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मासलपुर, पुलिस थाना करौली, जिला करौली (अब ग्राम पंचायत मासलपुर का गठन पंचायत समिति मासलपुर के रूप में हुआ है) में खेड़ा रोड से झामरी देवी मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया गया था, जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी तथा तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई थी। उक्त कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई थी। ग्राम पंचायत मासलपुर, पुलिस थाना करौली, जिला करौली (अब पंचायत समिति मासलपुर) में खेड़ा रोड से झामरी देवी मंदिर तक सी.सी. सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री क्रय कर ली गई है तथा बिल जारी कर दिए गए हैं। उस मज़दूर को मस्टर रोल पर लिया गया था और उसी के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया था। सड़क का निर्माण किया गया और तकनीकी व्यक्ति अर्थात् सहायक अभियंता, पीएस करौली ने अन्य व्यक्तियों के साथ

साइट का दौरा किया और उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। ए.ई.एन. को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया गया था, उस समय अपीलकर्ता जे.ई.एन. के पद पर काम कर रहा था जो ए.ई.एन. द्वारा दी गई टीएस के लिए उत्तरदायी नहीं है जो संबंधित पंचायत समिति में कार्यरत ए.ई.एन. द्वारा दी जाती है। निर्माण कार्य वर्ष 2012–2013 में पूरा हो गया था। कार्य पूरा होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति अनुलग्नक–2 और 3 पर उपलब्ध है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत खरेटा की वर्ष 2012–2013 की लेखापरीक्षा की गई तथा ग्राम पंचायत मासलपुर, पीएस करौली, जिला करौली अब ग्राम पंचायत मासलपुर में खेड़ा रोड से झामरी देवी मंदिर तक सी.सी. रोड के निर्माण के संबंध में वास्तविक आय–व्यय में कुछ भी नहीं पाया गया। इसके बाद वर्ष 2015–16 के लिए सीएजी ऑडिट रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए दिनांक 20.11.2024 को एक पत्र/आदेश जारी किया गया, जिसमें एक वसूली आदेश में यह आरोप लगाया गया था कि निम्न स्तर के कार्य का उपयोग करके विभिन्न स्थानों से सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और अन्य वसूली आदेश में यह आरोप लगाया गया था कि वित्तीय अनियमितता और कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का अध्याय–13 अनुशासनात्मक कार्यवाही और दंड से संबंधित है। धारा 300 में दंड लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अपीलार्थी को सीसीए नियमों के तहत कोई आरोप पत्र जारी किया गया है और सीधे तौर पर उस पर जुर्माना लगाया गया है और उससे वसूली का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के वसूली आदेशों को अपास्त किया है। सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने वसूली आदेशों को अपास्त कर दिया और इसी तरह के मामले में इस प्रकार के वसूली आदेशों के खिलाफ अंतरिम स्थगन आदेश भी दिया (अनुलग्नक–4)। तकनीकी अधिकारियों से कार्य की पुनः जांच करवाने के बजाय प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 20.11.2024 द्वारा सरपंच, ग्राम सचिव, जे.ई.एन. (अपीलार्थी) तथा ए.ई.एन. से 9.99 लाख रुपए की राशि वसूलने का आदेश दिया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.11.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी से कोई वसूली न करें और यदि कोई वसूली की गई है, तो वह राशि 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ अपीलार्थी को वापस दी जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली कार्यवाही का नोटिस जारी करने से पहले अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करना पाया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य वसूली आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तदुपरांत आवश्यक हो तो वसूली कार्यवाही अम्ल में लाई जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य